Vol.11 June'18 No.11
Annual Subscription : Rs 100
Rs. 10/- per copy

ब्रह्मार्पण

BRAHMARPAN

वेदोऽखिलो धर्ममूलम्

A Monthly publication of Brahmasha India Vedic Research Foundation

Brahmasha India Vedic Research Foundation
ब्रह्माशा इंडिया वैदिक रिसर्च फाउन्डेशन
C2A/58 Janakpuri, New Delhi - 110058

कोई अर्थ नहीं

–राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर

नित जीवन के संघर्षों से
जब टूट चुका हो अन्तर्मन,
तब सुख के मिले समन्दर का
रह जाता कोई अर्थ नहीं।।

जब फसल सूख कर जल के बिन
तिनका–तिनका बन गिर जाए,
फिर होने वाली वर्षा का
रह जाता कोई अर्थ नहीं।।

सम्बन्ध कोई भी हों लेकिन
यदि दुःख में साथ न दें अपना,
फिर सुख में उन सम्बन्धों का
रह जाता कोई अर्थ नहीं।।

छोटी–छोटी खुशियों के क्षण
निकले जाते हैं रोज़ जहाँ,
फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का
रह जाता कोई अर्थ नहीं।।

मन कटुवाणी से आहत हो
भीतर तक छलनी हो जाए,
फिर बाद कहे प्रिय वचनों का
रह जाता कोई अर्थ नहीं।।

सुख–साधन चाहे जितने हों
पर काया रोगों का घर हो,
फिर उन अगनित सुविधाओं का
रह जाता कोई अर्थ नहीं।।

BRAHMASHA INDIA VEDIC RESEARCH FOUNDATION ACKNOWLEDGES WITH THANKS RECEIPT OF THE Following DONATIONS:-

1. Smt. Naresh Puri, C3A/9C, Janakpuri N.D.-110058	₹ 500/-
2. Sh. K.N. Bhasin, Janakpuri N.D.-110058	₹ 1100/-
3. S.K. Chawla, C2B/27A, Janakpuri N.D.-110058	₹ 500/-
4. Mrs. Sumedha Anil Naswa, G403, Jiwan Dham, Bima Ngr. Ahmedabad-380018	₹ 500/-

Donations to the Foundation are eligible for Tax Exemption under Section 80G of the Income Tax Act 1960 Vide No.DIT(E)1/3313/DELBE 21670-2503210 dated 25.03.2010

Brahmarpan June' 18 Vol. 11 No.11
जयेष्ठ-आषाढ़ 2075 वि.संवत्

ब्रह्मार्पण
BRAHMARPAN

A bilingual Publication of Brahmasha India Vedic Research Foundation

BRAHMASHA INDIA VEDIC RESEARCH FOUNDATION

C2A/58, Janakpuri,
New Delhi-110058
Tel :- 25525128, 9313749812
*email:*deeukhal@yahoo.co.uk
brahmasha@gmail.com
Website : www.thearyasamaj.org
of Delhi Arya Pratinidhi Sabha
Sh. B.D. Ukhul
Secretary
Dr. B.B. Vidyalankar 0124-4948597
President
Col.(Dr.) Dalmir Singh (Retd.)
V.President
Dr. Mahendra Gupta *V.President*
Ms. Deepti Malhotra
Treasurer

Editorial Board
Dr. Bharat Bhushan Vidyalankar, Editor
Dr. Harish Chandra
Dr. Mahendra Gupta
Acharya Gyaneshwararya

लेख में प्रकट किए विचारों के लिए सम्पादक उत्तरदायी नहीं है। किसी भी विवाद की परिस्थिति में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।

Printed & Published by
B.D. Ukhul for Brahmasha India Vedic Research Foundation
Under D.C.P.
License No. F2 (B-39) Press/ 2007
R.N.I. Reg. No. DELBIL/ 2007/22062
Price : Rs. 10.00 per copy
Annual Subscription : Rs. 100.00

CONTENTS

1. कोई अर्थ नहीं 2
-श्री रामधारी सिंह दिनकर
2. संपादकीय 4
3. सांख्य दर्शन 7
-डॉ. भारत भूषण
4. हुतात्मा महाशय राजपाल का बलिदान एवं रंगीला रसूल 8
-डॉ. विवेक आर्य
5. वेदों में इन्द्र-वृत्र युद्ध और यास्क मुनि 12
-डॉ. महावीर मीमांसक, वेदमार्तण्ड
6 हिन्दू कोड बिल कैसे संशोधित हुआ 17
-राजेश चौधरी
7. चीन की समस्या : नेहरू से मनमोहन तक 20
-धर्मवीर
8. मंगल पाण्डे का बलिदान 26
9. हिन्दू ही लोकतन्त्र के रक्षक 28
-पूरनचन्द्र डोगरा (आई.पी.एस.)
10. New Life Though Art of Breathing 34
-Col. Dalmir Singh

संपादकीय

सरकार के सभी अंगों में परस्पर सामंजस्य आवश्यक

-डॉ. भारतभूषण विद्यालंकार

किसी भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके तीन आधारभूत स्तंभों का होना आवश्यक है। ये स्तंभ हैं- विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। विधायिका देश के विधिवत् संचालन के लिए संविधान व कानूनों का निर्माण करती है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और विवादास्पद मामलों में संविधान के अनुसार निर्णय लेती है। इस प्रकार संविधान का अनुपालन कार्यपालिका को कराना होता है। इन तीनों का कार्यक्षेत्र सुनिश्चित है। यह आशा की जाती है कि ये तीनों स्तंभ अपने-अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित रहेंगे। कोई भी उनके लिए निर्धारित लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करेगा। परन्तु यह देखा जाता है कि समय-समय पर ये अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करते रहते हैं। नीचे न्यायपालिका के कुछ उदाहरण दिए हैं।

हाल ही में न्यायपालिका की गरिमा को नज़रअंदाज करके कांग्रेस ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग का नोटिस दिया जिसमें न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव है। यह नोटिस देश की पारदर्शी न्यायव्यवस्था पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों का ऐसा हमला है जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस अवैध नोटिस को राज्य सभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने निरस्त कर दिया।

संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों

के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद अंत में सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई मतों द्वारा प्रस्ताव का पास होना अनिवार्य है। 545 सांसदों की लोकसभा और 245 सांसदों की राज्यसभा में (इन दोनों सदनों में) कांग्रेस के मात्र 40 से 50 सदस्य हैं, परन्तु कांग्रेस द्वारा महाभियोग के लिए दिए गए प्रस्ताव से ऐसा लगता है जैसे बहुमत कांग्रेस के साथ है। अतः यदि सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लेते तो दोनों सदनों में बहुमत के अभाव में यह प्रस्ताव टिकने वाला नहीं था।

राज्य सभा के सांसदों के लिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब तक सभापति किसी नोटिस पर निर्णय नहीं ले लेता तब तक उसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु कांग्रेस ने इस विषय पर प्रेस कान्फ्रेंस करके इसके पीछे के राजनीतिक उद्देश्य को साफ कर दिया साथ ही नियमों का उल्लंघन भी किया। नोटिस में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के विरुद्ध लगाए गए आरोप की पुष्टि होती हो।

भारतीय समाज में न्यायपालिका को बहुत सम्मान से देखा जाता रहा है। जनता का यह विश्वास इसलिए भी बना रहा क्योंकि उसकी सत्ता स्वायत्त और स्वतंत्र रही है। इसी कारण वह लोकतंत्र का अभिभावक रहा है। उसका राजनीतिकरण लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करेगा।

कुछ समय-पूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री अरुण जेटली ने न्यायपालिका पर आरोप लगाया था कि वह विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है जो भारतीय लोकतंत्र के हित में नहीं है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी इससे सहमति जताई थी और न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्य पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप के लिए उसकी तीखी आलोचना की थी।

इस संबंध में श्री अरुण जेटली ने कहा था कि कर लगाने तथा बजट बनाने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं दिया जा सकता। परन्तु उसने यह अधिकार भी प्राप्त कर लिया है।

ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली से गुजरने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर कर लगाया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया। यह संविधान के अनुच्छेद 205 के विरुद्ध है। इसमें कहा है कि कानून के बिना किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति जेफर्सन ने कहा था कि न्यायिक सक्रियता संविधान को मोम का लौंदा बना देती है। भारतीय संविधान सभा में पं. नेहरु ने भी कहा था कि जुडिशरी तीसरा सदन नहीं हो सकती लेकिन ऐसा हो रहा है।

जजों की नियुक्ति पर न्यायालय व केन्द्र में मतभेद

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायालय फिर आमने-सामने हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम.जोसेफ को सुप्रीमकोर्ट में जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश सरकार ने लौटाते हुए फिर विचार करने को कहा। कानून मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा कि मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश मानक के अनुरूप नहीं है केरल से पहले ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ऐसे में सीनियोरिटी का महत्त्व नहीं रह जाता वरिष्ठता ऑल इंडिया स्तर पर देखी जाती है। इस पत्र को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की भी मंजूरी है। हालाँकि सरकार ने इंदु मलहोत्रा को सुप्रीमकोर्ट में जज बनाने को स्वीकृति दे दी है। इंदु पहली जज हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँची हैं। कांग्रेस ने पूछा कि दो साल पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ निर्णय देने के कारण जस्टिस जोसेफ की नियुक्ति रोकी जा रही है। सरकार ने इस आरोप को निरस्त कर दिया। कॉलेजियम को अधिकार है कि वह सरकार के पास फिर से जस्टिस जोसेफ का नाम भेज दे तब उसे सरकार लौटा नहीं सकेगी।

अन्ततः यह उचित होगा कि सरकार के तीनों अंग अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए आपसी विरोध से बचें। किसी मामले में असहमति होने पर परस्पर चर्चा कर समाधान करें।

संपादक

सांख्य दर्शन (अध्याय-1, सूत्र-125)

-डॉ. भारत भूषण विद्यालंकार

उक्त संदर्भ में प्रश्न उठता है कि क्या तब संसार हमेशा इसी रूप में बना रहेगा? इसका समाधान सूत्रकार अगले सूत्र मे करते हैं; सूत्र है-

व्यावृत्तोभयरूपः ।।125।।

अर्थ-(व्यावृत्तः) हटा हुआ (उभय रूपः) दोनों रूपों में।

भावार्थ- किसी समय में संसार का उच्छेद (नाश) हो जाए, यह एक रूप है और संसार हमेशा इसी वर्तमान रूप में बना रहे यह दूसरा रूप है। इन दोनों ही रूपों से संसार को व्यावृत्त समझना चाहिए। न तो संसार किसी भी समय हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है और न सदा इसी वर्तमान रूप में बना रह सकता है। अतः इन दोनों स्थितियों में संसार को हटा हुआ बताया गया है। कारण यह है कि सद्रूप होते हुए भी संसार परिणामी (परिवर्तनशील) है। इस कारण यह बना भी रहता है और बदलता भी रहता है। इस आधार पर भिन्न रूप में इसकी दो स्थितियाँ हैं सर्ग और प्रलय। ये एक दूसरे के बाद आवर्तमान रहती हैं। आत्माओं का मोक्ष में जाना भी इसकी अविरत आवृत्ति में कभी बाधक न होगा। यह चक्र अनादिकाल से अनन्तकाल तक चलता रहता है। अतः इस सब स्थिति पर विचार करते हुए आत्माओं की अनेकता व अनन्तता सिद्ध होती है।।125।।

दी हिबिस्कस,
बिल्डिंग-5, एपार्ट नं.-9बी
सेक्टर-50, गुड़गाँव (हरियाणा) 122009
फोन-0124-4948597

हुतात्मा महाशय राजपाल की बलिदान-गाथा एवं रगीला रसूल

(6 अप्रैल को बलिदान दिवस पर)

-डॉ. विवेक आर्य

सन् 1923 में मुसलमानों की ओर से दो पुस्तकें "19वीं सदी का महर्षि" और "कृष्ण, तेरी गीता जलानी पड़ेगी" प्रकाशित हुई थी। पहली पुस्तक में आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश के 14वें समुल्लास में कुरान की समीक्षा से खीज कर उनके विरुद्ध आपत्तिजनक एवं घिनौना चित्रण प्रकाशित किया था जबकि दूसरी पुस्तक में श्रीकृष्ण जी महाराज के पवित्र चरित्र पर कीचड़ उछाला गया था। उस दौर में विधर्मियों की ऐसी शरारतें चलती ही रहती थीं पर धर्म प्रेमी सज्जन उनका प्रतिकार उन्हीं के तरीके से करते थे। महाशय राजपाल ने स्वामी दयानन्द और श्रीकृष्ण जी महाराज के अपमान का प्रति उत्तर 1924 में "रंगीला रसूल" के नाम से पुस्तक छाप कर दिया, जिसमें मुहम्मद साहिब की जीवनी व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत की गई थी। यह पुस्तक उर्दू में थी और इसमें सभी घटनाएँ इतिहास सम्मत और प्रामाणिक थीं। पुस्तक में लेखक के नाम के स्थान पर "दूध का दूध और पानी का पानी" छपा था। वास्तव में इस पुस्तक के लेखक पंडित चमूपति जी थे जो आर्यसमाज के श्रेष्ठ विद्वान थे। वे महाशय राजपाल के अभिन्न मित्र थे। मुसलमानों की ओर से संभावित प्रतिक्रिया के कारण चमूपति जी इस पुस्तक में अपना नाम नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महाशय राजपाल से वचन ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विकट स्थिति क्यों न आ जाए वे किसी को भी पुस्तक के लेखक का नाम नहीं बतायेंगे। महाशय राजपाल ने अपने वचन की रक्षा अपने प्राणों की बलि देकर की पर पंडित चमूपति सरीखे विद्वान पर आँच तक न आने दी। 1924 में छपी "रंगीला रसूल" बिकती रही पर किसी ने उसके विरुद्ध शोर न मचाया फिर महात्मा गाँधी ने अपनी मुस्लिमपरस्त नीति में इस पुस्तक के विरुद्ध एक लेख लिखा। इस पर कट्टरवादी मुसलमानों ने महाशय राजपाल के

विरुद्ध आन्दोलन छेड़ दिया। सरकार ने उनके विरुद्ध 153ए धारा के अधीन अभियोग चला दिया। अभियोग चार वर्ष तक चला। राजपाल जी को छोटे न्यायालय द्वारा डेढ़ वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपये का दंड सुनाया गया। इस फैसले के विरुद्ध अपील करने पर सजा एक वर्ष तक कम कर दी गई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। कँवर दिलीप सिंह की अदालत ने महाशय राजपाल को दोषमुक्त करार दे दिया। मुसलमान इस निर्णय से भड़क उठे। खुदाबख्स नामक एक पहलवान मुसलमान ने महाशय जी पर हमला कर दिया जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे, पर संयोग से आर्य संन्यासी स्वतंत्रानंद जी महाराज एवं स्वामी वेदानन्द जी महाराज वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने घातक को ऐसा कसकर दबोचा की वह छूट न सका। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, उसे सात साल की सजा हुई। रविवार 8 अक्तूबर 1927 को स्वामी सत्यानन्द जी महाराज को महाशय राजपाल समझकर अब्दुल अज़ीज़ नामक एक मतान्ध मुसलमान ने एक हाथ में चाकू, एक हाथ में उस्तरा लेकर हमला कर दिया। स्वामी जी को घायल कर वह भागना ही चाह रहा था कि पड़ोस के दुकानदार महाशय नानकचंद जी कपूर ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में वे भी घायल हो गए तो उनके छोटे भाई लाला चुन्नीलाल जी उसकी ओर लपके। उन्हें भी घायल करते हुए हत्यारा भाग निकला पर उसे चौक अनारकली पर पकड़ लिया गया। उसे चौदह वर्ष की सजा हुई और तदनन्तर तीन वर्ष के लिए शांति की गारंटी का दंड सुनाया गया। स्वामी सत्यानन्द जी के घाव ठीक होने में करीब डेढ़ महीना लगा। 6 अप्रैल 1929 को महाशय राजपाल अपनी दुकान पर आराम कर रहे थे। तभी इल्मदीन नामक एक मतान्ध मुसलमान ने महाशय जी की छाती में छुरा घोंप दिया जिससे महाशय जी का तत्काल प्राणांत हो गया। हत्यारा अपनी जान बचाने के लिए भागा और महाशय सीताराम जी के लकड़ी के टाल में घुस गया। महाशय जी के सपूत विद्यारतन जी ने उसे कस कर पकड़ लिया। पुलिस हत्यारे को पकड़ कर ले गई। देखते ही देखते हजारों लोगों का ताँता वहाँ पर लग गया।

देवतास्वरूप भाई परमानन्द ने अपने सम्पादकीय में लिखा था कि "आर्यसमाज के इतिहास में यह अपने ढ़ंग का तीसरा बलिदान है। पहले धर्मवीर लेखराम का बलिदान इसलिए हुआ कि वे वैदिक धर्म पर किये जाने वाले प्रत्येक आक्षेप का उत्तर देते थे। उन्होंने कभी भी किसी मत या पंथ के खंडन की पहल नहीं की थी। सदैव उत्तर-प्रति उत्तर देते रहे। दूसरा बड़ा बलिदान स्वामी श्रद्धानंद जी का था। उनके बलिदान का कारण यह था कि उन्होंने भुलावे में आकर मुसलमान हो गए भाई बहनों को, परिवारों को पुनः हिन्दूधर्म में सम्मिलित करने का आन्दोलन चलाया था और इस ढंग से स्वागत किया कि आर्य जाति में "शुद्धि" के लिए एक नया उत्साह पैदा हो गया। विधर्मी इसे न सह सके। तीसरा बड़ा बलिदान महाशय राजपाल जी का है। जिनका बलिदान इसलिए अद्वितीय है कि उनका जीवन लेने के लिए लगातार तीन आक्रमण किये गए। पहला प्रयास 26 सितम्बर 1927 को एक व्यक्ति खुदाबक्श ने किया। दूसरा आक्रमण 8 अक्तूबर को उनकी दुकान पर बैठे हुए स्वामी सत्यानन्द पर अब्दुल अज़ीज़ ने किया। ये दोनों अपराधी कारागार में दंड भोगते रहे। इसके पश्चात् अब डेढ़ वर्ष बीत चुका है कि एक युवक इल्मदीन, जो न जाने कब से महाशय राजपाल जी के पीछे पड़ा था। एक तीखे छुरे से उनकी हत्या करने में सफल हुआ। जिसे छोटी सी पुस्तक को लेकर महाशय राजपाल के विरुद्ध भावनाओं को भड़काया गया था, उसे प्रकाशित हुए तब चार वर्ष से अधिक समय बीत चुका था।" लाहौर के हिन्दुओं ने यह निर्णय किया कि शव का संस्कार अगले दिन किया जाए। पुलिस के मन में निराधार भूत का भय बैठ गया और डिप्टी कमिश्नर ने रातों-रात धारा 144 लगाकर सरकारी अनुमति के बिना जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। अगले दिन प्रातः सात बजे ही हजारों की संख्या में लोगों का ताँता लग गया। सब शव यात्रा के जुलूस को शहर के बीच से निकाल कर ले जाना चाहते थे पर कमिश्नर इसकी अनुमति नहीं दे रहा था। इससे भीड़ में रोष फैल गया। अधिकारी चिढ़ गए। अधिकारियों ने लाठी चार्ज की आज्ञा दे दी। पच्चीस व्यक्ति घायल हो गए।

अधिकारियों से पुनः बातचीत हुई। पुलिस ने कहा कि लोगों को अपने घरों को जाने दिया जाये। इतने में पुलिस ने फिर से लाठी चार्ज कर दिया। 150 के करीब व्यक्ति घायल हो गए पर भीड़ टस से मस न हुई। शव अस्पताल में ही रखा रहा। दूसरे दिन सरकार एवं आर्यसमाज के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत शव को मुख्य बाजारों में धूम-धाम से ले जाया गया। हिन्दुओं ने बड़ी श्रद्धा से अपने मकानों से पुष्प वर्षा की।

ठीक पौने बारह बजे हुतात्मा की नश्वर देह को महात्मा हंसराज जी ने मुखाग्नि दी। महाशय जी के ज्येष्ठ पुत्र प्राणनाथ जी तब केवल 11 वर्ष के थे पर आर्य नेताओं ने निर्णय लिया कि समस्त आर्य हिन्दू समाज के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा हंसराज मुखाग्नि दें। जब दाहकर्म हो गया तो अपार जनसमूह शांत होकर बैठ गया। ईश्वर प्रार्थना श्री स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने करवाई। प्रार्थना की समाप्ति पर भीड़ में से एकदम एक देवी उठी। उनकी गोद में एक छोटा सा बालक था। यह देवी हुतात्मा राजपाल की धर्मनिष्ठा साध्वी धर्मपत्नी थी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति के इस प्रकार मारे जाने का दुःख अवश्य हैं पर साथ ही उनके धर्म की बलिवेदी पर बलिदान देने का अभिमान भी है। वे मरकर अपना नाम अमर कर गए।

पंजाब के सुप्रसिद्ध पत्रकार व कवि नानकचंद जी "नाज" ने तब एक कविता महाशय राजपाल के बलिदान के यथार्थ चित्रण में लिखी थी।

फ़ख्र से सर उनके ऊँचे आसमान तक हो गए,
हिन्दुओं ने जब अर्थी उठाई राजपाल।
फूल बरसाए शहीदों ने तेरी अर्थी पे खूब,
देवताओं ने तेरी जय-जय बुलाई राजपाल।
हो हर इक हिन्दू को तेरी ही तरह दुनिया नसीब,
जिस तरह तूने छुरी सीने पर खाई राजपाल।
तेरे कातिल पर न क्यूँ इस्लाम भेजे लानतें,
जब मुज़म्मत कर रही है एक खुदाई राजपाल।
मैंने क्या देखा कि लाखों राजपाल उठने लगे,
दोस्तों ने लाश तेरी जब जलाई राजपाल।

वेदों में इन्द्र-वृत्र युद्ध और यास्कमुनि

-वेद मार्तण्ड श्री महावीर मीमांसक

गतांक से आगे.....

अब इस इन्द्र-वृत्र युद्ध में वृत्र अर्थात् मेघ कैसे मरता है इसका स्पष्ट वर्णन अगले मन्त्र में दिया है जो निम्न प्रकार है-

दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धाः आपः पणिनेव गावः।
अपां बिलमपिहितं यदासीद् वृत्रं जधान्वाँ अप तद् ववार।।
(ऋक्.1.32.11)

इस मन्त्र में अहि शब्द भी है और वृत्र शब्द भी जो दोनों मेघ वाचक हैं, यह हम सप्रमाण बता चुके हैं।

बादल के रूप में गुप्त पानी से लबालब सराबोर घनघोर घटा तनी खड़ी है। पानी उसमें ऐसे जबरदस्ती रुका हुआ है जैसे व्यापारी बनिया (गो-आदि पशुओं को बेचने वाला) गौवों को जबरदस्ती घेर-घार कर रखता है। मेघ से जल द्रवित होकर निकलने के छिद्र मानो रुके हुए हैं कि अचानक इन्द्र-वैद्युत् शक्ति के तड़ातड़ प्रहार बादल पर हुए और बादल पानी के रूप में द्रवित होकर बह निकला, बादल इन्द्र शक्ति वैद्युत-अग्नि के आघातों से विदीर्ण होकर पानी के रूप में परिणत हो गया और बरसने लगा, यही वृत्र का हनन या वध (वृत्रं जधन्वाँ) है जिस से पानी के बहने के रास्ते खुल गये और वह आकाश से भूमि पर वर्षा के रूप में गिरने लगा। यही पर्जन्य है जिसके लिये वेद में राष्ट्रगान किया गया है, **"निकामे निकामे नः पर्जन्योऽभिवर्षतु, फलवत्यो न ओषध्यः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्।"**

हजारों वर्ष पूर्व यास्क के द्वारा इस वेद विज्ञान की प्रामाणिक व्याख्या करने के बाद भी मध्यकाल में यह विद्या लुप्त हो गई, जैसा कि सायण, महीधर आदि के वेद भाष्यों से स्पष्ट है। पश्चिमी विद्वानों ने भी उन्हीं का अन्धानुकरण करके वेद विद्या को रसातल में पहुँचा दिया। ऋषि दयानन्द ने इस विज्ञान का पुनरुद्धार यास्क के आधार पर करने का बीड़ा उठाया, किन्तु पश्चिमी विद्वानों की दासता के शिकार आधुनिक

भारतीय विद्वान उसी **"अन्धेनैवनीयमाना यथाऽन्धाः"** की लकीर पर चल रहे हैं। इसका एक नमूना हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं जो वेद के इस विज्ञान के सर्वथा विपरीत, प्राचीनतम प्रामाणिक व्याख्या से पराङ्मुख होकर इन्द्रादि वैदिक देवताओं का वह मिथकीय काल्पनिक इतिहास पेश करते हैं जिसका न केवल वास्तविकता से दूर का भी वास्ता नहीं है, अपितु इतिहासकारों की गर्हित मनोवृत्ति का भी परिचायक है और इतिहासकारों की भयंकर अनभिज्ञता पर आधारित है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के **प्रो. डी. एन. झा** ने 17 दिसम्बर ई. सन् 2001 के अंग्रेजी के हिन्दुस्तान टाइम्स में "Paradox of Indian Cow" शीर्षक से एक लेख लिखा। इस लेख में वे इसी वैदिक देवता के सम्बन्ध में लिखते हैं:- "The Vedic Gods for whom the various sacrifices were performed had no fixed menu of food. Milk, butter, oxen, goats and sheep was offered to them and these were their usual food, though some of them seem to have had their special preferences." Indra had a special liking for bulls. Rgveda. 5.29.7 ab; 6.17.11b; 8.12.8ab; 10.27.2c; 10.28.3; 10.86.14ab."

यहाँ सर्वप्रथम तो प्रो. झा देवता शब्द का अनुवाद "God" शब्द से करते हैं जो पूर्णतः उनकी अनभिज्ञता का परिचायक है। 'देवता' वर्णनीय विषय या शीर्षक होने से Subject-Matter या Heading होता है यह हम देवता शब्द की यास्की परिभाषा देकर सिद्ध कर चुके हैं।

प्रो. झा. इन्द्र की विशेष रुचि बैलों के खाने में लिखते हुए जिन वेद मन्त्रों के अंशों का हवाला देते हैं, उन्हें हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं-

सखा सख्येऽपचन्तूयमग्निरस्य क्रत्वा महिषाँ त्रिशतानि।। (ऋ.5.29.7)

पचच्छतं महिषां इन्द्र तुभ्यम्।। (ऋग्-6.17.11)

यदि प्रबृद्ध सत्पते सहस्त्रं महिषाँ अघः।। (ऋक्.8.12.8)

अमा ते तुम्रं वृषभं पचानि। (ऋक्. 10.27.2)

पचन्ति हो वृषभाँ अत्सि तेषाम्।। (ऋग्.10.23.)

उदणो हि मे पञ्चदश साकं यचन्ति विंशतिम्।।

(ऋग्. 10.86.14)

प्रो. झा की सबसे बड़ी भयंकर मूर्खता यह है कि वे न तो वैदिक भाषा को समझते हैं और न ही वेद की तकनीकी परिभाषिक शब्दावली के अर्थों को। इसलिए वे इन्द्र को कोई दैत्य आकार वाला महाकाय पुरुष-व्यक्ति-विशेष राक्षस जैसा समझते हैं जो पशुओं की बलि यज्ञ में लेकर खाता है। इन्द्र शब्द की परिभाषा और स्वरूप हम पहले ही यास्क के निर्वचनों, वैदिक मन्त्रों और उनकी हजारों वर्ष पुरानी प्रामाणिक व्याख्या के प्रमाणों के आधार पर बतला चुके हैं कि इन्द्र वैद्युत अग्नि की प्राकृतिक शक्ति है जिसका कार्यभार और सामर्थ्य मेघ को विदीर्ण करके, पानी के रूप में बूँद-बूँद द्रवित करके उसे वृष्टि उन्मुख करना है।

प्रो. झा द्वारा उद्धृत वेद के उपर्युक्त तीन मन्त्रों में महिषाँ, दो मन्त्रों में वृषभ और एक मन्त्र में उक्षा शब्द आया है जिन सब का अर्थ प्रो. झा ने bulls किया है। जबकि लौकिक भाषा में महिष का अर्थ भैंसा, वृषभ का अर्थ साँड और 'उक्षा' का अर्थ बैल होता है, प्रो. झा को तो लौकिक संस्कृत भाषा का भी ज्ञान नहीं, वैदिक भाषा की तो बात दूर रही। प्रो. झा अपने वैदिक ज्ञान का आधार म.म. उपाध्याय पी.वी. काणे आदि को बतलाते हैं जिनका आधार पश्चिमी विद्वान् और सायण, महीधर आदि हैं जो अत्यन्त अर्वाचीन काल की विकृत और दूषित परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रो. झा जब इतिहास की खोज में जमीन और आसमान की परतें उधेड़ देते हैं तो वैदिक भाषा के शब्दों के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए कम से कम निघण्टु और निरुक्त को ही देखने का कष्ट कर लेते। अब हम उनको निघण्टु और निरुक्त तक पहुँचाते हैं, जिससे उन्हें वैदिक शब्दावली के प्रामाणिक अर्थों की जानकारी मिले।

'महिष' और 'उक्षा' शब्द निघण्टु में महानामों में पठित हैं जिनका अर्थ है महान या विशाल। (द्र. निघ. 3.3)। वृषभ शब्द का अर्थ है मेघ या बादल जिसका निर्वचनपूर्वक अर्थ

बतलाते हुए यास्क निरुक्त में कहते हैं **"वृषभो वर्षणात् मेघः इत्यर्थः"** अर्थात् वृषभ शब्द की व्युत्पत्ति बारिश अर्थ वाली वृष् धातु से है जिसका अर्थ है बारिश करने वाला मेघ। पच् धातु का अर्थ माँस को पकाना नहीं अपितु अन्तरिक्ष में सूर्य की अग्नि से समुद्र का पानी वाष्प बन कर जमा होते-होते जब मेघ के रूप में परिपक्व हो जाता है, उस वर्षा के लिए तैयार मेघ के लिए पच् धातु का प्रयोग है। वर्षा ऋतु के दो मास साठ दिनों को छोड़ कर साल के शेष दस मास अर्थात् तीन सौ दिन के लिए त्रिशतानि शब्द का प्रयोग है, न कि तीन सौ पशुओं के लिए। पूरे दस मास-तीन सौ दिन तक अन्तरिक्ष में जलीय वाष्प अग्नि के द्वारा मेघ के रूप में परिपक्व होते रहते हैं। महिष और उक्षा शब्द मेघ के विशेषण है। अर्थात् विशालकाय मेघ, महान मेघ, न कि पशु विशेष के वाचक। अब उपर्युक्त मन्त्रों का अर्थ स्पष्ट है। पहले मन्त्र का अर्थ है, इन्द्र अर्थात् वैद्युत ऊर्जा का मित्र अग्नि 300 दिन तक 10 मास तक समुद्र के पानी को बादल के रूप में तैयार करता है। अगले मन्त्र में यह दिनों की संख्या 100 है जो ग्रीष्म ऋतु में कुछ दिन और जोड़कर बनती है। अर्थात् चैत्र, वैसाख और ज्येष्ठ इन तीन महीनों में 10 दिन और मिला लो, ग्रीष्म ऋतु में अग्नि समुद्र के पानी को वाष्प के रूप में उड़ाकर अन्तरिक्ष में बादल तैयार करती रहती है। कुछ मन्त्रों में यह संख्या पूरे 90 दिन (नवति) भी दे रखी है। इस प्रकार परिपक्व होकर महान् बादल (विशालकाय घनघोर काले बादलों की घटा) अन्तरिक्ष में तैयार होते हैं। बादलों का रंग काला और सफेद होने से महिष और उक्षा से उपमा भी दी जा सकती है। किन्तु इन दोनों शब्दों का अपना अर्थ वेद में निघण्टु के अनुसार महान् या विशाल ही है जो मेघ का विशेषण है। वर्षा ऋतु में तैयार महान् विशालकाल बादलों को इन्द्र की वैद्युत शक्ति विदीर्ण करके पानी के रूप में द्रवित करके वृष्टि के रूप में जमीन पर गिराती है, यही महान मेघ का इन्द्र द्वारा वध अर्थात् खाना है। वेद के इन पारिभाषिक

शब्दों की यह व्याख्या आज से हजारों वर्ष पूर्व दुर्गाचार्य ने निरुक्त में वायु, वरुण, रुद्र, इन्द्र और पर्जन्य इन पाँच वैदिक देवताओं की व्याख्या के प्रसंग में लिखी है जो पाँचों देवता भौतिक शक्तियाँ है वे अन्तरिक्ष में अपना कार्य पूरा करती हैं। दुर्गाचार्य लिखते हैं:-

"वाय्यात्मनैव हि मध्यमः, ऊर्जान्मासात् परतः सार्वदिक्कमुदकमुपसंहरन्नोषधिवनस्पतिजलाशयेभ्यः उदकमन्तरिक्षलोकस्य गर्भमुपचिनोति। स मासाष्टकेन सम्भृतोदकगर्भो विपक्वः प्रावृषं प्राप्य प्रसवाय कल्पते।। स एष सम्भृतोदकगर्भो वायुर्विवृण्वन् मेघजालेन नभः मध्यमो वरुणः, रुदद् रुद्रः, तत इरा द्रवद् इन्द्रः ततो रसान् प्रार्जयत् पर्जन्यः।" (दुर्गा. निरु.10.1)

इन प्रामाणिक विवरणों से निष्कर्ष निकलता है कि वेद में इतिहास नहीं है। वैदिक इन्द्र देवता कोई ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष नहीं अपितु भौतिक शक्ति है जो मेघ को विदीर्ण करके जल के रूप में द्रवित करती है जिससे वृष्टि होती है। वृत्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष (राक्षस) नहीं अपितु मेघ का वाचक है। इन्द्र-वृत्र युद्ध कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, अपितु अन्तरिक्ष में मेघ में वैद्युत ऊर्जा-भौतिक शक्ति के बीच होने वाला संघर्ष है और वृत्र-वध भी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं अपितु मेघ का जल के रूप में विदीर्ण होना और वृष्टि के रूप में बरसना उसका वध है। जो वस्तुतः वृष्टि विज्ञान है। यह वर्णन उपमा के रूप में वेद में है। प्रामाणिक स्रोतों और मौलिक सूत्रों के आधार पर वैदिक भाषा की शब्दावली का अर्थ खोजकर वैदिक ज्ञान-विज्ञान को उजागर करने की आज के युग में महती आवश्यकता है ताकि भारत देश गौरवान्वित और समूचा विश्व लाभान्वित हो सके और प्रो. डी.एन. झा जैसे तथाकथित ऐतिहासिक विद्वानों को मनमाने आधारहीन और अप्रामाणिक लेख लिखने का दुःसाहस न हो।

वैदिक ज्ञान विज्ञान सम्पदा से साभार

हिन्दू कोड बिल कैसे संशोधित हुआ

–राजेश चौधरी

आजादी के समय हिन्दू लॉ कोडिफाई नहीं था लेकिन 1950 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हिन्दू कोड बिल आया। इसके तहत हिन्दू लॉ में तमाम रिफॉर्म हुए और इसका कोडिफिकेशन किया गया। इसके तहत हिन्दू मैरिज ऐक्ट 1955 हिन्दू उत्तराधिकार अधि ानियम 1955, हिन्दू माइनॉरिटी ऐंड गार्जियनशिप ऐक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्शन ऐंड मेंटेनेंस ऐक्ट 1956 लाया गया। इसके तहत हिन्दू पर्सनल लॉ को कोडिफाई कर कानूनी जामा पहना दिया गया।

ऐडवोकेट ज्ञानंत सिंह बताते हैं कि इसको लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद और पंडित नेहरू के बीच सामाजिक और कानूनी पहलू पर काफी रस्साकसी चली थी। हिन्दू अपने पर्सनल लॉ को हिन्दू कोडिफाई लॉ के दायरे में फॉलो करता है। जब तक हिन्दू लॉ कोडिफाई नहीं था, तब तक हिन्दू कस्टम में बहु-विवाह सिस्टम था। साथ ही तलाक का प्रावधान नहीं था। एक आदमी पत्नी छोड़कर या पत्नी को साथ रखते हुए भी कई शादियाँ करते थे।

जरूरत पड़ने पर रिफॉर्म : हिन्दू पर्सनल लॉ के तहत वर्जित रिलेशन में शादी नहीं हो सकती जैसे भाभी, चाची, मामी आदि। साथ ही सपिंडा रिलेशन में शादी वर्जित है यानी पिता की पाँच पीढ़ी और माँ की तीन पीढ़ी में आपस में शादी नहीं हो सकती। इसके अलावा शादी के वक्त सप्त पदी और अग्नि के सामने फेरे की प्रथा है जिसे कोडिफाई किया गया है। यानी हिन्दू कस्टम में जो प्रथा और परंपरा थी उसे कोडिफाई किया गया है और जहाँ भी रिफॉर्म की जरूरत थी, उसे रिफॉर्म किया गया है। मसलन, हिन्दू लॉ

कोडिफिकेशन से पहले तलाक की व्यवस्था नहीं थी लेकिन हिन्दू लॉ में तलाक का प्रावधान किया गया। साथ ही बहु-विवाह को प्रथा खत्म किया गया और उसे ऑफिंस के दायरे में लाया गया।

हिन्दू लॉ से पहले देखा गया था कि बेटा न होने पर दूसरी शादी कर ली जाती थी या संतान न होने पर भी ऐसा किया जाता था। लेकिन हिंदू लॉ के बाद यह सिस्टम खत्म कर दिया गया। तलाक के लिए भी यह ग्राउंड नहीं चलता कि पत्नी संतान पैदा नहीं कर सकती। देश में विरोध हुआ पर कस्टम प्रोटेक्ट करने की बात हुई।

हिन्दू लॉ में प्रावधान है कि कहीं भी हिन्दू लॉ और कस्टम के बीच टकराव हुआ तो कस्टम ऊपर होगा। कई जगह साउथ इंडिया में भांजी से शादी या फिर भाभी से शादी का कस्टम है और वहाँ सपिंडा या फिर वर्जित रिलेशन आड़े नहीं आता है। वहाँ हिन्दू लॉ पर उसे ही तरजीह दी जाती है।

धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी,
सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनःसंयमः।
शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम्
ह्येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः।।

भावार्थ- धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, लम्बे काल तक साथ देने वाली शान्ति जिसकी स्त्री है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहिन है, मन का संयम जिसका वस्त्र है और ज्ञान रूपी अमृत का पान करना ही जिसका भोजन हैं, हे मित्र! जिस योगी के ऐसे कुटुम्बीजन हैं, उसे संसार में किससे भय होगा? अर्थात् किसी से भी भय नहीं होगा।

-भर्तृहरिकृत-वैराग्यशतक, श्लोक-१००

चीन की समस्या : नेहरू से मनमोहन तक

–डॉ. धर्मवीर

चीन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, भारत ने उसे आक्रमण करने का निमन्त्रण दिया था। आज भी भारत सरकार उसे आक्रामक कहने के लिए तैयार नहीं है, सीमाओं की सुरक्षा में इसे इधर–उधर आने–जाने का खेल बता रही है। चीन को लेकर हमारी सरकारों की सोच में राजनीतिक अपरिपक्वता का ही नहीं देश की अस्मिता व रक्षा भावना से भी शून्य प्रतीत होता है। आज इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, चीन का हमारी सीमा में घुस आना कोई आक्रमण नहीं है, हमारी सेनाएँ भी घूमते हुए चीनी सीमा में घुस जाती हैं। यह वक्तव्य एक घरेलू पड़ोसी का भी नहीं हो सकता। परन्तु भारत के प्रधानमंत्री का है। इसे एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या समझे। नादानी या कायरता? दोनों ही बातें किसी देश के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। भारत सरकार का विदेश मन्त्री कहता है चीन की करतूत एक हलका सा चेहरे का मस्सा है जो क्रीम लगाते ही दूर हो जाएगा। यह मानसिकता किसी का भी भला नहीं कर सकती, उसे भारत में देखा जा सकता है।

आज चीन की सेना भारतीय सीमा में उन्नीस किलोमीटर तक घुसकर अपने तम्बू गाड़ चुकी है। भारत बातचीत से समस्या का समाधान देख रहा है। वह चीन को आक्रमक कहकर नाराज़ नहीं करना चाहता। भारत कुछ देकर भी उसे सन्तुष्ट देखने की इच्छा रखता है। वर्तमान भारत की सरकार सीमा को सुरक्षित रखने के स्थान पर बाजार व्यवस्था को सुरक्षित रखना अधिक महत्त्वपूर्ण मानती है। दुकानदार कभी चेतावनी की भाषा नहीं बोल सकता। आश्चर्य तो यह है कि इस बाजार व्यवस्था में भी चीन ही भारत से अधिक लाभ उठा रहा है। तब भी भारत की चीन को उसकी औकात नहीं बता सकता यही भारत की स्थिति रह गई है। चीन सदा अपनी सीमाओं को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील रहता है। चीन के पूर्व राष्ट्रपति माओ ने तो कहा था – "तिब्बत चीन की

हथेली है और लद्दाख, आक्साईचिन, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इसकी अंगुलियाँ हैं।" चीन यदि लद्दाख में घुसकर उसे अपना बता रहा है तो बिना प्रयोजन के तो नहीं बता रहा है।

भारत ने पहला अपराध तब किया था, जब 1950 में चीन ने तिब्बत में प्रवेश करके उस पर बलात् अधिकार कर लिया था और भारत चुपचाप देखता रहा। 'विदेशों में पले-बढ़े लोग भारतीय राजनीति और देशहित साधने में कैसे अक्षम होते हैं?' उनके उदाहरण पं. नेहरु ही हो सकते हैं। देश के लाभ के स्थान पर अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को सुधारने के चक्कर में चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने की लड़ाई को अपनी महानता समझते थे। चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण करने पर तिब्बत को चीन का भाग मानने जैसा पाप पं. नेहरू ने किया था। जिस समय चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया उस समय उसकी रक्षा और व्यवस्था का उत्तरदायित्व भारत का था। भारत का अन्तिम डाकघर तक तिब्बत में था। परन्तु तिब्बत को चीन का भाग बताकर जहाँ तिब्बत की स्वतन्त्रता और शान्ति का अपहरण होने दिया वहीं शत्रु को अपना पड़ौसी बनाकर सीमा पर खड़ा कर दिया। उस समय भारत सरकार ने 1949 में जब चीन को मान्यता दी थी, तब यदि तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता दी होती तो भारत-चीन सीमा विवाद समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। यही विचार डॉ. अम्बेडकर ने प्रकट किये थे। यदि उस समय की प्रतिक्रियाओं को देखा जाए तो सबसे महत्त्वपूर्ण विचार डॉ. राममनोहर लोहिया के थे। उन्होंने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि चीन का तिब्बत पर आक्रमण नहीं यह आक्रमण भारत पर है और भारत सरकार को उस हमले का उत्तर देना चाहिए। उन्होंने चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र के पानी को रोकने की बात सरकार को कही थी। परन्तु पं. नेहरु हिन्दी-चीनी भाई-भाई तथा पंचशील के नारों के नशे में थे जो आज नेहरू जी के साथ उनकी समाधि में सो रहे हैं। उस समय के राजनीतिज्ञ लोगों का विचार नेहरू जी से विपरीत था। गृहमन्त्री

पटेल ने कहा था तिब्बत में चीन का प्रवेश भारतीय सीमाओं के लिए सबसे बड़ा संकट है। जयप्रकाश नारायण ने सरकार से आग्रह किया था कि वह चीन का प्रवेश भारतीय सीमाओं के लिए सबसे बड़ा संकट है। जयप्रकाश नारायण ने सरकार से आग्रह किया था कि वह चीन को आक्रान्ता तथा तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित करे। चीन, तिब्बत में घुसकर घोषणा कर रहा था, वह तिब्बत को मुक्त करा रहा है, परन्तु उस समय चीन से कोई पूछने वाला नहीं था कि स्वतन्त्र तिब्बत को वह किस से मुक्ति दिला रहा है, हाँ चीन ने तिब्बत को उसकी स्वतन्त्रता से मुक्त कर दिया। चीन ने अपनी क्रूरता और कुटिलता से तिब्बत के भौगोलिक व जनसंख्या के स्वरूप को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परन्तु आज भी तिब्बत के लोग अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष में अपना बलिदान दे रहे हैं। आज भारत को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर है, जब वह तिब्बत को स्वतन्त्र देश के रूप में मान्यता देकर अपनी सीमा से दूर करके देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का लाभ उठा सकता है। चीन-पाकिस्तान से मिलकर भारतीय क्षेत्र को अपने अधिकार में लेता जा रहा है। हम शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के नाम पर अपमान सह कर भी अपना दूसरा गाल थप्पड़ मारने के लिए आगे करते जा रहे हैं, और चीन है कि भारत के गाल पर तमाचे पर तमाचा मारता जा रहा है।

तिब्बत और चीन को लेकर हम सदा चीन से दबते आ रहे हैं। 2003 में अटल बिहारी बाजपेयी ने भी अपनी यात्रा के समय तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग मानने की भारत सरकार की नीतिगत भूल को दोहराया था। यदि भूल से तिब्बत चीन का अभिन्न अंग हो सकता है तो भूल सुधारकर उसे भिन्न अंग, स्वतंत्र देश बनाया जा सकता है। देशों की घटती-बढ़ती सीमाएँ ही देश के सामर्थ्य और निर्बलता की प्रतीक होती हैं। हम अपनी सीमाओं को चारों ओर से घटने दे रहे हैं, संसार में कौन मूर्ख होगा जो हमें शक्तिशाली और समर्थ समझेगा?

1962 के चीन आक्रमण के समय जब चीन ने अक्साइ चीन पर अधिकार कर लिया तब भारतीय संसद में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा दिया गया वक्तव्य स्मरण करने योग्य है, जिससे देश के प्रति एक प्रधानमंत्री की क्या दृष्टि है, इसका पता लगता है। उस समय नेहरू ने सदन में कहा था कि वह जमीन बेकार है, वहाँ घास का तिनका भी नहीं होता। तब महावीर त्यागी ने अपने सिर की टोपी उतारकर कहा मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं तो इसको चीन को दे दूँ। देश की सीमाओं का महत्त्व और मूल्य जिन लोगों को पता नहीं है, उनसे आप और क्या आशा कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि समय-समय पर चीन द्वारा इस प्रकार की घटनाएँ घटित की जाती हैं तथा अनेक लोग सरकार को चेताते रहते हैं, तब भी सरकारों की दृष्टि क्यों नहीं बदलती? रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नाण्डीज ने सदन में कहा था- "हमारे लिए सबसे घातक शत्रु चीन है।" इस वक्तव्य को सरकार ने पसंद नहीं किया था। होना तो यह चाहिए कि सेना को आदेश दिया जाए वह चीनी सैनिकों को अपनी सीमा में लौटाये यदि इस स्थान पर नहीं तो दूसरे स्थान पर चीनी सेना को अन्दर खदेड़ा जाए। तब तो वार्ता की मेज पर समझौते की बात हो सकती है। यदि हम अपनी चीनियों द्वारा दबाई गई भूमि पर समझौते की बात करना चाहेंगे तो वह पहले भी नहीं हुई, आगे भी नहीं हो सकती। परन्तु प्रधानमंत्री स्वयं को समर्थ समझते हुए उन पर विश्वास करने के लिए देश की जनता को कह रहे हैं। संभवतः वे पण्डित नेहरू के उत्तराधिकारी होने को दोहराना चाहते हैं जब पण्डित नेहरू को सूचना दी गई कि उत्तर पूर्व में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक निगरानी करते घूम रहे हैं तब पण्डित नेहरू ने कहा था- "कोई चिन्ता की बात नहीं मैं सब ठीक कर दूँगा, आप मुझ पर विश्वास रखें" और एक दिन समाचार मिला बोमदिला पर चीनी सेना का अधिकार हो गया और वहाँ पर भारतीय सेना पराजित होकर पीछे हट गई। इस प्रकार पं. नेहरू ने जनता के विश्वास से धोखा कर देश की भूमि को विदेशियों के हाथ सौंप दिया। वैसी ही भाषा मनमोहन

सिंह बोलते रहे हैं- "हमारे पास योजना है। हम समस्या को व्यर्थ तनावपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहते। यह एक स्थानीय स्तर की सामान्य समस्या है। हमें विश्वास है, हम इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे" यह बात प्रधानमंत्री ने संवाददाताओं के साथ बात करते हुए कही। यहाँ मूल प्रश्न है, क्या इस देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं हैं कि जो समाधान प्रधानमंत्री लेकर जा रहे हैं, वह इस देश की जनता की दृष्टि में भी समाधान का स्थान रखता है या नेहरू की तरह इस देश की जनता के साथ एक बार फिर छल होने जा रहा है? विशेषकर जब-जब प्रधानमंत्री ने विदेशियों से वार्ता की है। हर बार वे असफल हुए हैं और हर बार इस देश ने कुछ न कुछ खोया है। विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ वार्ता करते हुए वे भारत की मनवाने में नहीं समझाने में असमर्थ रहे हैं। क्या ऐसे प्रधानमंत्री पर यह विश्वास किया जाना योग्य है, कि वह अकेला देश की समस्या का समाधान कर सकता है, सफलतापूर्वक उसका हल निकाल् सकता है? प्रधानमंत्री का यह कथन नितान्त अनुचित है कि- "यह समस्या एक स्थानीय समस्या है।" चीनी सैनिक भारत की चौदह हजार सत्तावन किलोमीटर लम्बी सीमा पर जब-तब उल्लंघन करके भारतीय सीमा में घुसते रहते हैं।

सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो भारत सरकार ने गत तीन वर्षों में छः सौ बार सीमा उल्लंघन करने की बात अपने पत्राचार में की है। विदेशी संवाद की सफलता संदिग्ध है, विशेष रूप से तब जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मन्त्रालय भी देख रहा हो। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए यह अच्छा होगा कि वे यह न कहें कि जनता मुझ पर विश्वास करे, अपितु प्रधानमंत्री जनता को अपने विश्वास में ले। चीन द्वारा की गई कार्यवाही इसलिए भी आश्चर्यजनक है। यह 1962 के युद्ध के पश्चात् दुष्टता से परिपूर्ण बड़ी कार्यवाही है। यह केवल सीमा उल्लंघन ही नहीं पुराने किये अपमान को दोहराना भी है। आप तो कह रहे हैं, पहले सैनिक आये, पचास सैनिकों ने वहाँ अपना तम्बू गाड़ा। उनको सहायता सामग्री देने को

ट्रक भी उनके पास खड़े हैं। दो हैलिकॉप्टर से खाद्य सामग्री और सहायता भी पहुँचाई गई है। विशेष नस्ल के खूँखार कुत्ते भी वहाँ पर मँगाकर रखे गए हैं, यह सब कार्य बिना किसी निश्चित योजना या विचार के नहीं हो सकते। इसके ऊपर आप कुछ भी कहते रहें, चीन की सरकार क्या कह रही है, उसको जानकर आप निर्णय कर सकते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं, वह सब सहज या आकस्मिक नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारतीय प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा है– "चीनी सेना ने कोई भी भड़काऊ कार्यवाही नहीं की है और न ही सीमा का उल्लंघन किया है। आगे उसका कहना है कि हम शान्तिपूर्ण तरीके से कार्य में विश्वास करते हैं, हमारा कोई कार्य किसी की भी सुरक्षा और शान्ति के लिए खतरा नहीं हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय का कहना है हमारी सेना के वायुयानों ने कभी सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है। जितने भी समाचार सीमा रेखा के उल्लंघन के बताये जा रहे हैं, वे सब सच नहीं है। साथ ही चीनी प्रवक्ता का कहना है जो भी सीमा के अतिक्रमण की बात की जा रही है, वह संचार माध्यम के उतावलेपन का परिणाम है। समाचार माध्यमों को संयम बरतना चाहिए जिससे दोनों देशों के बीच सद्भावनापूर्ण वातावरण को क्षति न पहुँचे। चीनी विदेश मन्त्रालय ने कहा है, वे सारे आक्षेपों को झूठा मानते हैं। हम किसी भी समस्या का समाधान शान्तिपूर्ण तरीके से करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारा कोई कार्य स्थायित्व व शान्ति के लिए खतरा नहीं है। प्रश्न उठता है कि यह सब किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? एक ओर भारत के विदेश मन्त्री की चीन यात्रा प्रस्तावित है, दूसरी ओर चीन के प्रधानमंत्री की भारत आने की योजना बन रही है। ऐसे समय में ऐसे कार्यों से भारत सरकार के मन में चीन यह भय बैठाना चाहता है जिससे कोई नई माँग उसके साथ न उठाई जा सके। भारत इतने में ही अपना भला समझ लेगा कि चीन ने नया कदम उठाया है और उस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। श्री मनमोहन सिंह के प्रसन्न होने के लिए

इतना तो पर्याप्त होगा।

हमें समझ लेना चाहिए कि चीन आगे बढ़ रहा है, परन्तु वह हम से युद्ध करेगा, ऐसा कहना कठिन है, उसके लिए सम्भव नहीं है और ऐसा करने का अवसर तो तब आएगा जब भारत अपने अन्तिम हथियार के रूप में युद्ध के लिए तैयार होगा। अभी तो वह चीन को धमकी देने की मनःस्थिति में ही नहीं आया है। फिर लड़ाई करने की मानसिकता तो बहुत दूर है। अतः चीन को बिना लड़े भारत की भूमि दबाने का अवसर मिल रहा है, वह उसे क्यों छोड़ेगा। भारत के पास युद्ध करने की क्षमता है, परन्तु युद्ध की मानसिकता का अभाव है। अतः युद्ध की संभावना नहीं है। राजनीति में कोई भी संभावना कभी समाप्त नहीं होती। हमारे पड़ोसी से सम्बन्ध अच्छे हैं, इसलिए हम उधर से निश्चिन्त हो जायें तो हमारा मरण निश्चित है, क्योंकि धोखा तो विश्वास में ही छिपा होता है। धोखा पास वाले से, परिचित से, पड़ोसी से ही होता है। पड़ोसी से मित्रता कम और शत्रुता की संभावना अधिक होती है। आप शक्तिशाली हैं, पड़ोसी आपसे मित्रता करेगा, नहीं तो कमजोरों का आदर आजतक किसने किया है? संस्कृत में एक शब्द है– 'अरि' इसका मूल अर्थ था– 'पड़ोसी' परन्तु पड़ोसी अधिकांश में शत्रु हो जाता है। अतः संस्कृत का अरि शब्द पड़ोसी अर्थ छोड़कर शत्रु अर्थ में प्रचलित हो गया। चीन जिस प्रकार से भारत की सीमा में बढ़ रहा है उसे चाणक्य ने पृथ्वी को जीतने का प्रथम उपाय बतलाया है। इसमें शत्रु की भूमि पर आगे बढ़े शत्रु की उदासीनता का लाभ उठाकर और आगे बढ़ जावें, इस शत्रु पर विजय प्राप्त करें। भारत के चाणक्य का सूत्र चीन के कार्य में आ रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। इसका प्रतिकार जन–जागरण कर सरकार को उचित निर्णय के लिए बाध्य करना ही है। राज्य को जीतने के लिए चाणक्य ने ठीक ही कहा है–

एवं विजिगीषुरमित्रभूमिं लब्ध्वा मध्यम लिप्सेत।
तद्सिद्धावुदासीनम्। एष प्रथमो मार्गः पृथिवीं जेतुम्।।

मंगल पाण्डे का बलिदान

(8 अप्रैल को बलिदान दिवस पर)

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चले लम्बे संग्राम का बिगुल बजाने वाले पहले क्रान्तिवीर मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी, 1831 को ग्राम नगवा (बलिया, उत्तरप्रदेश) में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म ग्राम सहरपुर (जिला साकेत, उ.प्र.) तथा जन्मतिथि 19 जुलाई, 1827 भी मानते हैं। युवावस्था में ही वे सेना में भर्ती हो गये थे।

उन दिनों सैनिक छावनियों में गुलामी के विरुद्ध आग सुलग रही थी। अंग्रेज जानते थे कि हिन्दू गाय को पवित्र मानते हैं जबकि मुसलमान सूअर से घृणा करते हैं। फिर भी वे सैनिकों को जो कारतूस देते थे, उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। इन्हें सैनिक अपने मुँह से काटते थे। ऐसा बहुत समय से चल रहा था; पर सैनिकों को इसका सच मालूम नहीं था।

मंगल पाण्डे उस समय बैरकपुर में 34वीं हिन्दुस्तानी बटालियन में तैनात थे। वहाँ पानी पिलाने वाले एक हिन्दू ने इसकी जानकारी सैनिकों को दी। इससे सैनिकों में आक्रोश फैल गया। मंगलपांडे से रहा नहीं गया। 29 मार्च, 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया।

एक भारतीय हवलदार मेजर ने जाकर सार्जेण्ट मेजर ह्यूसन को यह सब बताया। इस पर मेजर घोड़े पर बैठकर छावनी की ओर चल दिया। वहाँ मंगल पांडे सैनिकों से कह रहे थे कि अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। हमें उसकी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी अंग्रेज मेरे सामने आयेगा, मैं उसे मार दूँगा।

सार्जेण्ट मेजर ह्यूसन ने सैनिकों को मंगल पांडे को पकड़ने को कहा; पर तब तक मंगल पांडे की गोली ने उसका सीना

छलनी कर दिया। उसकी लाश घोड़े से नीचे आ गिरी। गोली की आवाज सुनकर एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट वहाँ आ पहुँचा। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई, पर वह बचकर घोड़े से कूद गया। इस पर मंगल पाण्डे उस पर झपट पड़े और तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेण्ट की सहायता के लिए एक अन्य सार्जेण्ट मेजर आया; पर वह भी मंगल पाण्डे के हाथों मारा गया।

तब तक चारों ओर शोर मच गया। 34वीं पल्टन के कर्नल हीलट ने भारतीय सैनिकों को मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया। पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस पर अंग्रेज सैनिकों को बुलाया गया। अब मंगल पाण्डे चारों ओर से घिर गये। वे समझ गये कि अब बचना असम्भव है। अतः उन्होंने अपनी बन्दूक से स्वयं को ही गोली मार ली। पर उससे वे मरे नहीं, अपितु घायल होकर गिर पड़े। इस पर अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अब मंगल पांडे पर सैनिक न्यायालय में मुकद्दमा चलाया गया। उन्होंने कहा, "मैं अंग्रेजों को अपने देश का भाग्यविधाता नहीं मानता। देश को आजाद कराना यदि अपराध है, तो मैं हर दण्ड भुगतने को तैयार हूँ।" न्यायाधीश ने उन्हें फाँसी की सजा दी और इसके लिए 18 अप्रैल का दिन निर्धारित किया। पर अंग्रेजों ने देश भर में विद्रोह फैलने के डर से घायल अवस्था में ही 8 अप्रैल, 1857 को उन्हें फाँसी दे दी। बैरकपुर छावनी में कोई उन्हें फाँसी देने को तैयार नहीं हुआ। अतः कोलकाता से चार जल्लाद जबरन बुलाने पड़े।

मंगल पांडे ने क्रान्ति की जो मशाल जलाई, उसने आगे चलकर 1857 के व्यापक स्वाधीनता संग्राम का रूप ले लिया। यद्यपि भारत 1947 में स्वतन्त्र हुआ। पर उस प्रथम क्रान्तिकारी मंगल पांडे के बलिदान को सदा श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा।

हिन्दू ही लोकतन्त्र के रक्षक

-पूरनचन्द्र डोगरा (आई.पी.एस.)

भारत के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि यह एक हिन्दू बहुल देश ही रहे। दुनियाभर में हिन्दुत्व की ख्याति सहिष्णु और सर्वपंथ समभाव की रही है। आप किसी चर्च या मस्जिद में जाकर भी अपने को हिन्दू कह सकते हैं। हिन्दुत्व में किसी तरह का धर्मादेश संहिता या एक ही अधिकृत धार्मिक पुस्तक अथवा किसी एक पैगम्बर का स्थान नहीं है। यह एक ऐसा धर्म है जिसमें हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति या नस्ल का हो, फल-फूल सकता है। हिन्दुत्व में मतांतरण का कोई स्थान नहीं है यहाँ कोई काफिर नहीं है और न ही दारूल हरब है। हमारे वेदों के अनुसार, हिन्दुत्व एक जीवन पद्धति है। क्या 'वसुधैव कुटुम्बकम्" के दर्शन को मानने वाला हिन्दू कभी कट्टर हो सकता है, कभी नहीं।

हिन्दुत्व की उत्पत्ति किसी के खिलाफ युद्ध से नहीं हुई। यह हमारे ऋषि-मुनियों का ईश्वरीय ज्ञान है। भारत विभिन्न जातियों, भाषाओं और संप्रदायों वाला एक बहुविध पर सामंजस्यपूर्ण ढंग से आपस में गुंथा हुआ एक देश है। हमारा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उपासना पद्धति का अनुसरण कर सकता है, उसका अपना अलग इष्टदेव हो सकता है, पर हर संप्रदाय एक ही ईश्वर की ओर ले जाता है। हिन्दू प्रत्येक मानव में ईश्वर के स्वरूप को देखता है। भारत को केवल हिन्दुत्व ही एक सूत्र में बाँधे रख सकता है। अगर कभी भारत में हिन्दू अल्पसंख्यक हुए तो इस देश और यहाँ के निवासियों की स्थिति कैसी होगी, इसका अनुमान 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्ताँ हमारा' के रचयिता और बाद में पाकिस्तान के मुखर समर्थक सर मोहम्मद इक़बाल के शब्दों से लगाया जा सकता है। साफिया अमीर ने अपनी पुस्तक 'मुस्लिम ब्रदरहुड इन इंडिया' में लिखा है कि इक़बाल ने इस्लाम को सभी मुसलमानों की 'मातृभूमि' बताया। उन्होंने

राजनीतिक राष्ट्रवाद को पंथिक राष्ट्रवाद करार देते हुए जायज ठहराया। उन्होंने आगे कहा, 'इस्लाम' के मूर्तिपूजा को समाप्त करने के उद्देश्य को देखते हुए वह देशभक्ति (राष्ट्रवाद से उत्पन्न) को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह 'मूर्तिपूजा का ही एक सूक्ष्म रूप' है, जिसके कारण विभिन्न देशों के देशभक्तिपूर्ण गीतों से लगता है कि मातृभूमि का दैवीकरण कर दिया गया है। सन् 1913 में एक साक्षात्कार में इक़बाल ने कहा था कि वह वर्तमान में प्रचलित और व्यवहार में लाए जाने वाले राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, क्योंकि वह इस्लाम के ऊँचे आदर्शों को हासिल करने में बाधक हैं। उनका मानना था कि मुस्लिम बहुल देशों में इस्लाम और राष्ट्रीयता, जिसमें इस्लाम की भूमिका के लिए खतरा पैदा किया, के बीच बीच संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता और अल्पसंख्यकों के साथ मुस्लिम कानून ने शादी जैसे मुक्त सामाजिक सम्बन्धों की अनुमति दे ही रखी हैं। इक़बाल ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि ऐसे देशों में, जहाँ इस्लाम राष्ट्रीयता को प्रश्रय देता है, दोनों व्यावहारिक रूप से समान हैं। राष्ट्रवाद उसी स्थिति में मुसलमानों के लिए खतरा था, जहाँ वे अल्पसंख्यक थे और तब उसने, उनके सम्पूर्ण आत्म विलोपीकरण की माँग की। इसलिए इक़बाल का मानना था कि ऐसी परिस्थितियों में इस्लाम की एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में आत्मनिर्णय की माँग न्यायसंगत है।

ऐसे में क्या एक गैर-मुस्लिम के लिए ऐसे मुस्लिम बहुल देश में सम्मान के साथ रहना सम्भव होगा और क्या एक दूसरे सम्प्रदाय का व्यक्ति अपने पन्थ के अनुसार आचार-व्यवहार कर पाएगा? मध्य पूर्व एशिया के देश इसके जीते-जागते उदाहरण हैं। इन देशों की सरकारें इस्लाम के अलावा किसी सम्प्रदाय को सार्वजनिक रूप से अपनी पूजा-पद्धति के पालन की अनुमति नहीं देतीं। इन सरकारों ने मुस्लिम शरीयत कानून को लागू किया हुआ है।

बदलाव जरूरी

हिन्दुत्व वैदिक सनातनधर्म है। मानव सभ्यता के आरम्भ से ही यह चिरंतन धर्म बिना किसी मतान्धता के शुद्ध, तार्किक और कर्मप्रेरक रहा है। पर समय के साथ-साथ कुछ निहित स्वार्थों के कारण इसमें खामियाँ पनपीं। इसके कारण विभाजन पैदा हुए और वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई, जिसने सदियों तक दूसरों को अपना अनुचर बनाए रखा। एक समय, वर्ण-व्यवस्था श्रम के विभाजन और कर्त्तव्यों का प्रतीक थी। पर पीढ़ियों तक उसके साथ भेदभाव और सामाजिक अत्याचारों के लिए एक वर्ग विशेष की क्यों निन्दा की जाए? यह एक वर्ग विशेष पर सबसे बड़ा अत्याचार था। यह हिन्दू समाज पर एक धब्बा है, जिसके लिए हमारी दुनिया भर में निन्दा हुई।

दूसरा पहलू है हिन्दू समाज का अलग-अलग सम्प्रदायों में विभाजन। हिन्दू समाज में असंख्य सम्प्रदाय हैं। हमारे अनेक देवी-देवता हैं। पुराने समय से हिन्दुओं का एक केन्द्रीय मंच नहीं रहा है। हम स्वयं को हिन्दू तो कहते हैं पर पूजा अपने गुरुओं की ही करते हैं। सम्प्रदायों में किसी भी तरह से हिन्दुत्व के केन्द्रीय विचार की व्याप्तता नहीं है। हिन्दुत्व के सभी सम्प्रदायों को समान रूप से आकर्षित करने वाला एक भी मंच नहीं है। एक समुदाय के रूप में हिन्दुओं से कोई भी भयभीत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हिन्दू इस क़दर बंटे हुए हैं कि वे एक मंच पर आ ही नहीं सकते। **मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए हिन्दू समाज को एक मंच पर संगठित होना होगा। हम अलग-अलग सम्प्रदायों, भिन्न-भिन्न उपासना पद्धतियों को मानते हों, पर एक प्रेरक और शक्तिशाली केन्द्रीय बिन्दु होना चाहिए। आज वेदों के महत्त्व को रेखांकित करते हुए एक आन्दोलन शुरू करने की आवश्यकता है। निन्दा योग्य जाति व्यवस्था को जड़ से मिटा दिया जाना चाहिए।** जब हम इस देश के विभिन्न समुदायों की बात करते हैं तो हम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और हरिजनों की बात करते

हैं। हरिजनों को हिन्दुओं के साथ क्यों नहीं गिना जाता? हम विकृत ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार कर रहे हैं। हमें वेदों के सन्देश को हाशिए पर रह रहे सभी हिन्दुओं, विशेषकर दलितों में फैलाना चाहिए।

नेताओं द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए काँची कामकोटि पीठ के जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती की गिरफ्तारी और उसके विरुद्ध देश भर में हिन्दुओं का कोई आन्दोलन न होना, आँखें खोल देने वाला अनुभव था। इससे पता चलता है कि या तो हिन्दू समाज निर्जीव है अथवा उसके मन में इस पीठ के प्रति कोई आदर नहीं है। क्या सरकार इमाम को गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकती थी? ऐसा होने पर व्यापक स्तर पर हिंसा के साथ दंगे हो गए होते। सभी राजनीतिक दल इसकी आलोचना करते और कथित पंथनिरपेक्ष नेताओं ने उनकी तत्काल रिहाई की माँग की होती। इस प्रकरण को लेकर हमें आत्मचिन्तन करने की आवश्यकता है। तथ्य यह है कि स्वामी जयेन्द्र सरस्वती ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रयत्न किए थे। पर योजनाबद्ध ढंग से शंकराचार्य जी को पहले गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया गया।

समय की पुकार

समय तेजी से हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। अगर हमने सही कदम नहीं उठाए तो वह दिन दूर नहीं जब हिन्दू अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएँगे। हिन्दुत्व इस देश की आधारभूमि है, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद का ही एक पर्याय है। हम इसे भारतीयता भी कह सकते हैं। हमें हिन्दू मूल्यों को संरक्षित करने, सहेजने और उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी भारत पंथनिरपेक्ष बना रह सकेगा। दलितों-वंचितों को मुख्यधारा में लाएँ। वे हिन्दुत्व को शक्ति प्रदान करेंगे। उनमें अपने धर्म के प्रति अपना जीवन दाँव पर लगाने का साहस और संकल्प है। ईसाई मिशनरियों के हमलों के विरुद्ध वनवासियों का संघर्ष इसका जीता जागता उदाहरण है। ऊँची

जाति का कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रतिरोध नहीं कर सकता है। मैं जानता हूँ कि यह बात थोड़ी टेढ़ी है। हमारे भीतर जातिबोध बहुत गहरे पैठा है। यह विडम्बना नहीं तो और क्या है कि ऊँची जातियों के विरोध के कारण एक दलित का बेटा अपने विवाह पर घोड़ी पर नहीं बैठ सकता? एक दलित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर ने बताया था कि उसे अपने इस पद के कारण सम्मान मिलता है, पर गाँव में अपने दूसरे रिश्तेदारों की तरह ही उसे जातिगत भेदभाव और छुआछूत का सामना करना पड़ता है।

हमें ये मानसिक अवरोधक तोड़ने होंगे। किसी को तो शुरूआत करनी होगी। आज हमारे पास विवेकानन्द नहीं है जो कि वैदिक विचारों के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली हिन्दू चाहते थे। हिन्दू युवा आधुनिक, पन्थनिरपेक्ष और दूरदर्शी हैं। वह अपने दम पर समाज, देश और दुनिया में एक जगह बनाना चाहता है। वह बेवजह आडम्बरपूर्ण भाषणों में नहीं उलझना चाहता है। वह कट्टर नहीं है। वह आगे बढ़ना चाहता है। वह व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक है। प्रकृति की उपासना में से निकलने के कारण हिन्दुत्व पर हिन्दू का व्यक्तिगत और निजी धर्म है। हिन्दू युवा के समक्ष एक आधुनिक, शक्तिशाली, भ्रष्टाचार से रहित और भविष्योन्मुख हिन्दू समाज का खाका रहे। वह मौजूदा हिन्दू नेतृत्व को पुरातनपन्थी और रुढ़िवादी मानता है। वह अपने जीवन के भौतिकवादी पक्ष को नकारना नहीं चाहता। वह एक बेहतर जीवन स्तर चाहता है और उसके लिए एक हद तक अपने धर्म की भी परवाह नहीं करता। बिना रोजगार और बिना किसी आर्थिक सहायता के उसके अस्तित्व का क्या होगा? वह भौतिकवादी होने के साथ कथित रूप से प्रगतिशील युवा भी होना चाहता है। हमें वैदिक संस्कृति में अपने युवाओं को शिक्षित करने के लिए व्यापक स्तर पर एक पुनर्जागरण अभियान आरम्भ करने की आवश्यकता है।

पांचजन्य से साभार

New Life Though Art of Breathing

-Col. Dalmir Singh

The seed of first breathing occurs in mother's womb, after breathing starts it goes on till the last breath when the life ends. The breaths per minute takes place as follows:-

1. Person breaths fast during running because more Oxygen is required in limbs.
2. There is fast breathing when portion of lungs are congested due to Cough and Cold.
3. Breathing is fast when one is going through Stress, when one is preparing to face situation of fear, trauma, emotional set backs. Short breathing occurs when person is in depression.

There can be many reasons for breathing, the reason is to draw more Oxygen into lungs so that blood which is carrier of Oxygen to brain and other organs is sufficient, the lack of Oxygen intake into system can result into great accidents, may be paralysis, brain stroke.

Pranayam in Yoga System is a powerful tool to make a habit of deep breathing, what we have experienced is that during practice of various pranayams that time only deep breathing takes place whereas remaining 24 hours we do only shallow breathing. We breath only 15 percent of our lung's capacity remaining 85% remains unused. It means we are reducing our lives with each inhaling and exhaling by supplying less oxygen to our organs. All diseases are the result of lack of Oxygen in different organs.

The story of survival from death to life by a young British Officer.

During Second World War it happened when Lieutinent (Lt) Willium C Knowles, Military Cross (An award given to a Soldier for bravery in War) got many bullets in his chest injuring his lungs, he fell down while fighting in Battle field, soldiers who accompanied him, thought, Willium was dead but when

after attack, they were returning, found Willium breathing, he was put on a stretcher and evacuated to nearest First Aid point, when soldiers were carrying him on their shoulder, Willium, in trauma and in semi conscious state, remembered his Mother's saying, My child breathe deep when in trouble, emergency medicines were given and he was immediately evacuated to Military Hospital. He immediately started doing deep breathing all through upto First Aid Point and after reaching and during Military Hospital ICU. After discharge from Hospital, he opened a clinic in England teaching Art of Breathing.

The seeds of our greatest growth are often planted in the depths of our greatest life challenges-challenges that begin at the very start of our lives with the inescapable trauma of our birth and the taking of our first breath. From that moment on, we are shaped by our external world, lost connection with our true self and forced into victimhood and a belief of fear where we have no choice but to carry on with shallow breathing.

"Breathing Into A New Life" is the transformational narrative of international Breathworker, John Stamoulos. It is both his personal story of triumph over trauma, struggle and challenge as well as a teaching manual where you can learn about Breakwork and unearth the power it holds to change your life in permanent ways. Through John's chronicles, you discover how Breathwork maps a path for letting go of a lifetime of repressed thoughts, emotions, beliefs, negativity and pain. The outcomes of John's story from victim to victorious can be applied as guidance in your own life. "Breathing Into a New Life" invites you inward into an undiluted, exquisite experience of authentic love. Along the way, you learn as astonishing truth: your breath, the very mechanism through which we all maintain our physical life is also an elegant, precise and intelligent instrument of transformation. You will never see your breath in quite the same way after reading this book.

Willium Knowles was very uncomfortable after his Military service, he always wanted to teach new method ie Art Of Breathing. He wanted to help Bronchial Patients suffering throughout their lives as lack of Oxygen in the body reduces ones potential to only 15%, one feels helpless even though he wants to work hard but can not.

In 1940, after succcessful teaching Art Of Breathing to Armed Forces, which included Lt Gen. H. Lumsden DSO, MC of the 8th Army, who wrote, without constant resource of your teaching, I could not have withstood the stress and strain while fighting in France, many British Officers commented the benfits of New way of Knowels method of breathing.

In short, the importance of posture, while sitting in chair or standing or lying on the back, shoulders at the back should close so that front of chest expands to allow lungs to fill more oxygen, to retain as long as one can, then to breath out through nostrils after this breathing out through mouth as much as one can. Simplest method is to tuck elbows into both sides and by raising both hands in horizontal position and inhaling breath by taking palms further back.

Method of Exhaling:-

After retention of breath, slowly breath out through your nose and after this open your lips and breath out residual breath, this way in each breath you are aware that more Oxygen. Inhaled, retained and Exhaled so that lungs are emptied and filled sufficiently so that whole body, each blood cell is renewed and in each breath one becomes healthier, bronchial Asthama is cured, hardwork become possible, no tiredness at all.

Try to practice and travel on the road to health, I wish readers to spend one minute per hour for doing pranayam ie in 24hrs, spend 24 minutes for breathing, in next 10 hrs. do constant practice for deep breathing and keep smile on your face.

C-2/366 Janakpuri,
NewDelhi-110058
Mob. No. 9899866867

Date of Pubn. : 31.5.2018 Posted at - NIE - H.O. Postal Date : 2-3 June 2018
RNI Reg. No. DELBIL/2007/22062 Postal Regd. No. DL(W) 10/2143/2017-2019

आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती।
तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु।।

।।यजु.29/33।।

ऋषिः जमदग्निः, देवता–वाक्, छन्दः–भुरिक् पंक्तिः

उत्तम कर्म (यज्ञ, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य) करते समय तीन दिव्य शक्तियाँ इडा (दिव्य बुद्धि), सरस्वती (दिव्य ज्ञान) और भारती (दिव्य ज्ञान की वाणी) सदैव तुम्हारे साथ रहे। ये तीनों दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे उत्तम कार्यों में हमेशा मार्गदर्शन करती रहें।

The three divinities, Ida (divine intellect), Saraswati (divine word of knowledge) and Bharati (divine speech of knowledge) be always with you while doing the noble deeds (Yajna, the act for the welfare of others). May these three intellectual forces keep guiding you in noble acts. (Yaju.-29-33)

Printed by - Friendsprintofast, New Delhi-58